

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जनपद देहरादून।

ईमेल-cfoddn.ukfs@gmail.com

फोन नम्बर-0135-2654900

पत्रांक: न-9/सीएफओ(शैक्षणिक भ0मा0)-D-PO-170-2025

दिनांक: जून 25, 2025

1. मानचित्र के अनुसार
सेवा में

Mr. Hari Bhandari S/O Mr. T.S Bhandari
Mrs. Mamta Bhandari W/O Mr. Hari Bhandari
Middle School Building Of: Doonwood Global Education Society,
In Kh. No-74, 75 Situated at Mauza-Aarkadiayagrnt, Pargana-Centraldoon
जनपद-देहरादून।

2. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदित आवेदन पत्र के अनुसार

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक
Doon Woods Global school
Mahima Enclave Lane No-04 {Karigaoh} Preamnager
जनपद-देहरादून।

विषय **शैक्षणिक भवन में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के पूर्ण संचालन (Pre-Operational) के सम्बन्ध में।**

कृपया आपके आवेदन यूनिफ़ॉर्म नम्बर-10210843 दिनांक: 16.06.2025 जो कि **Uttarakhand Fire and Emergency Services** के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है, के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी देहरादून द्वारा किया गया। अग्निशमन अधिकारी देहरादून की निरीक्षण आख्या दिनांक 23.06.2025 के अनुसार निरीक्षण के दौरान अग्निशमन व्यवस्था फायर एक्सटिंग्यूशर, होजरील, फायर अलार्म सिस्टम, होजपाईप मय ब्रांच, भूमिगत पानी टैंक, फायर पम्प इत्यादि कार्यशील दशा में होना अंकित किया है।

उपरोक्त भवन/संस्थान एक **शैक्षणिक** भवन है। भवन/संस्थान का मानचित्र बेसमेन्ट, भूतल, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल में स्वीकृत है। भवन/संस्थान वर्तमान में भूतल, प्रथम एवं द्वितीय तल में निर्मित है। जिसके प्लॉट का क्षेत्रफल-8659 वर्ग मीटर है, तथा भवन का क्षेत्रफल (Covered Area) 3789.28 वर्ग मीटर है। भवन/संस्थान की ऊँचाई-09 मीटर है। भवन/संस्थान में बेसमेन्ट नहीं है। सैट बैंक पर्याप्त है।

अतः उत्तराखण्ड शासन, गृह अनुभाग-03 की अधिसूचना संख्या-342/XX-3/2021-2(39)/2006 देहरादून दिनांक: 29 नवम्बर 2021 के अनुपालन में दिनांक: 25 जून 2025 से 24 जून 2028 (03 वर्ष) तक के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है, तथा निम्न शर्तों का पालन किये जाने पर ही यह वैध रहेगा।

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढ़ियाँ प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
2. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी स्वामी/प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है। अतः स्वामी/प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैंक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
5. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
6. संस्थान की अग्निशमन व्यवस्था के कार्यशील एवं एन.बी.सी.-2016 के मानकानुसार अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण होने का स्व-घोषण प्रमाण पत्र/Audit Report प्रति छः माह में प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य है।
7. यदि उपरोक्त अग्निसुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित भवन या अधिभाग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान के किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा।
8. संस्थान में फायर एण्ड लाईफ़ सेफ्टी के दृष्टिगत फायर पम्प हाऊस की इलेक्ट्रिक सप्लाय के लिए सेपरेट फिडर का प्रयोग करना अनिवार्य है यदि अग्निकाण्ड की घटना घटित होने पर पम्प हाऊस को इलेक्ट्रिक की सप्लाय नहीं मिलती है तो सम्पूर्ण दायित्व स्वामी/प्रबन्धक का होगा।
9. संस्थान में प्रत्येक 03 माह में मॉक ड्रिल करायी जाये जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जानी आवश्यक है।
10. प्रत्येक स्व-घोषण प्रमाण पत्र/Audit Report में संस्थान में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था में बदलाव (जैसे मेन्टीनेंस इत्यादि) की स्थिति से इस कार्यालय को अवगत कराना आवश्यक है।
11. भवन/संस्थान के स्वीकृत मानचित्र में प्रदर्शित सैट बैंक में स्थाई व अस्थायी निर्माण कर अग्निशमन एवं रेस्क्यू कार्य बाधित किये जाने एवं सेफ्टी मानकों में परिवर्तन किये जाने पर प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
12. संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/एन.बी.सी. 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update) स्थिति में रखा जाना आवश्यक है।

